झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2004 की धारा-3 में प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम 2004 (झारखण्ड अधिनियम 04, 2004) के संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह उसी तिथि अर्थात् 5 जुलाई, 2004 से प्रवृत्त होगा, जिस तिथि से झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 प्रवृत्त है ।

(iii) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2004 की धारा 3 में प्रतिस्थापन ।-**

उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (ग) (iv) में निम्न परिच्छेद -

"महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की कंडिका-2 (एफ) में पंजीकृत हो अथवा अनुदान प्राप्ति के दो वर्षों के अन्दर पंजीकृत हो जाए ।"

निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की कंडिका-2 (एफ) में पंजीकृत हो अथवा अनुदान प्राप्ति के चार वर्षों के अन्दर पंजीकृत हो जाए ।"

यह विधेयक झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) विधेयक, 2007 दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 36--50--28-12-2007--शनि मुण्डा ।